भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 229

(मंगलवार, **21** जुलाई, **2026/30** आषाढ़, **1948 (**शक) को उत्तर के लिए)

लघु कंपनियों के वर्गीकरण के लिए सीमा (थ्रेशोल्ड लिमिट) में वृद्धि

229 श्री नरेश बंसलः

डा. कविता पाटीदारः

श्री मस्तान राव यादव बीडाः

श्री राजिन्दर गुप्ताः

श्री लहर सिंह सिरोयाः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुपालन बोझ को कम करने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, **2013** के अंतर्गत कंपनियों को "लघु कंपनी" के रूप में वर्गीकृत करने हेतु निर्धारित सीमा में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष **2014** से अब तक प्रदत्त अंश पूंजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) और वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) की सीमा में किए गए परिवर्तनों और उनसे होने वाले अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(85) के अंतर्गत कंपनियों को "लघु कंपनियों" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वित्तीय सीमा को उत्तरोत्तर बढ़ाया है, ताकि अनुपालन का बोझ कम हो और लघु व्यवसायों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हो।

जब कंपनी अधिनियम, 2013 लागू हुआ था, तब लघु कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया था जिसकी चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपये से अधिक न हो और कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो, जिसमें कुछ श्रेणियों की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया था। इसके पश्चात, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 92(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के माध्यम से, कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देश) नियम, 2014 को 1 अप्रैल, 2021 से संशोधित किया गया, जिसमें चुकता पूंजी की सीमा को 2 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा को 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। इन सीमाओं को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) दिनांक 15 सितंबर, 2022 के माध्यम से फिर से बढ़ाकर चुकता पूंजी के लिए 4 करोड़ रुपये और कारोबार के लिए 40 करोड़ रुपये की कर दिया गया।

हाल ही में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ) दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के माध्यम से सरकार ने इन सीमाओं को और बढ़ा दिया है, जिसके तहत चुकता पूंजी की संशोधित सीमा 10 करोड़ रुपये तक और कारोबार की संशोधित सीमा 100 करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है। बढ़ी हुई सीमाओं को देखते हुए, अधिक कंपनियों को लघु कंपनियों के लाभ प्राप्त होंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

दिनांक **21** जुलाई, **2026** को उत्तर के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या **229** के भाग (क) एवं (ख) का अनुलग्नक-**I**

व्यवसाय करने की सुगमता तथा लघु कंपनियों पर अनुपालन भार को कम करने के लिए एमसीए द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम

क्र.सं.	धारा	विषय	लघु कंपनियों को समर्थन प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधान
1.	धारा **2(40)** - परंतुक	वित्तीय विवरण	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकद प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है।
2.	धारा **92(1)** - परंतुक	वार्षिक रिटर्न	**(i)** कंपनी सचिव द्वारा अथवा जहाँ कंपनी सचिव न हो, वहाँ कंपनी के किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। **(ii)** लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न।
3.	92 (1) (छ)	वार्षिक रिटर्न में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल राशि का प्रकटीकरण लघु कंपनियों के लिए पर्याप्त है।
4.	**134(3क)**	बोर्ड की रिपोर्ट	लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट।
5.	कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, **2014** के नियम **5** के साथ पठित धारा **139(2)**	लेखा-परीक्षकों का रोटेशन	लघु कंपनियों में लेखा-परीक्षकों का रोटेशन अनिवार्य नहीं है।
6.	**141(3) (छ)**	लेखा-परीक्षकों की संख्या पर प्रतिबंध	अधिकतम लेखा-परीक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिबंध लघु कंपनियों के लेखा-परीक्षकों पर लागू नहीं होते।
7	143 (3) (झ)	लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रकटीकरण	ये प्रकटीकरण लघु कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

8.	**173 (5)**	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, **2013** के अंतर्गत निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक **120** दिनों में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कुल **4** बार आयोजित की जानी आवश्यक है। तथापि, लघु कंपनी के मामले में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक बोर्ड बैठक तथा दो बैठकों के बीच न्यूनतम **90** दिनों का अंतर होना, कंपनी अधिनियम की धारा **173(5)** की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
9.	233	प्रादेशिक निदेशक के अनुमोदन द्वारा विलय	दो या दो से अधिक लघु कंपनियों अथवा एक या अधिक स्टार्ट-अप कंपनियों तथा एक या अधिक लघु कंपनियों के मध्य विलय को प्रादेशिक निदेशक के अनुमोदन से संपन्न किए जाने की अनुमति है।
10.	**446**ख	कमतर दंड	धारा **446**ख के अनुसार लघु कंपनियाँ कमतर दंड के पात्र हैं।
11.	नियम 8(12)(क)	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, **2014**	लघु कंपनियों को पेशेवरों द्वारा प्ररूपों के पूर्व-प्रमाणीकरण से संबंधित आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
12.	अनुलग्नक– शुल्क सारणी	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, **2014**	लघु कंपनियों के लिए कमतर शुल्क निर्धारित किया गया है।
13.	खंड **1**(2)(**iv**)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, **2020** (सीऐआरओ **2020)**	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, **2020** **(**सीऐआरओ**)** लघु कंपनियों पर लागू नहीं होता है।
14.	लघु कंपनियों का निगमन		₹15 लाख तक की अधिकृत शेयर पूंजी वाली सभी कंपनियों अथवा, जहाँ शेयर पूंजी लागू नहीं होती है, वहाँ 20 तक सदस्यों वाली कंपनियों के निगमन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
